

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 फरवरी 2015— माघ 27, शक 1936

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-2/2013/15-1/2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 कहलायेंगे।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

4. आरक्षण.—

- (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा।
- (2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।
- (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा।

5. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में, समय समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

7. निरसन.— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

अनुसूची

(नियम 2 तथा 3 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान तथा ग्रेड वेतन	सीधी भर्ती या पदोन्नति या स्थानान्तरण सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से भर्ती का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा (न्यूनतम तथा अधिकतम)	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिचीक्षा या परीक्षण की कालावधि, यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में सेवा की अर्हता कालावधि	पद जिनसे पदोन्नति की जानी है	क्या सीधी भर्ती के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता तथा आयु सीमा, पदोन्नति के मामले में लागू होंगे	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	दफ्तरी	17	चतुर्थ श्रेणी	750-7440 ग्रेड वेतन 1400	100% पदोन्नति के माध्यम से	-	8 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष	-	भृत्य	हां	पंजीयक, सहकारी संस्थायें	
2.	भृत्य	117	-तदैव-	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	18-30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-	-तदैव-	
3.	फर्राश	1	चतुर्थ श्रेणी (नियमित)	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	100% सीधी भर्ती के माध्यम से	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-	-तदैव-	
		9	आकस्मिकता निधि	कलेक्टर दर के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-	-तदैव-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	चौकीदार	2	चतुर्थ श्रेणी (नियमित)	4750-7440 ग्रेड वेतन 1300	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-	-तदैव-	
		9	आकस्मिकता निधि	कलेक्टर दर के अनुसार	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-	-तदैव-	

Naya Raipur, the 16th February 2015

NOTIFICATION

No. F 5-2/2013/15-1/2.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to recruitment and conditions of service to the Chhattisgarh Sub-ordinate Co-operative Class-IV Services, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Sub-ordinate Co-operative Class-IV Service Recruitment Rules, 2015.
- (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.

3. Classification and scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

4. Reservation.-

- (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994).
- (2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.
- (3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

5. Relaxation. – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

- 6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.
- 7. Repeal. -** All rules, corresponding to these rules, in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Special Secretary.

SCHEDULE

(See rule 2 and 3)

S. No.	Name of the post	Number of the duty posts	Classification	Pay scale and grade pay	Percentage of recruitment through various modes including direct recruitment or through promotion or through transfer	Only for direct recruitment age limit (minimum and maximum)	Prescribed educational qualification	Period of probation or trial, if any	Qualifying period of services in case of promotion	Posts from which the promotion is to be made	Whether in case of promotion prescribed age limit and educational qualification for the direct recruitment shall apply	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Daftari	17	Class- IV	4750-7440 Grade Pay 1400	100 % through promotions	--	Passed 8 th Class Examination	2 years	--	Peon	Yes	Registrar, Co-operative Societies	
2.	Peon	117	--do--	4750-7440 Grade Pay 1300	100 % through Direct Recruitment	18-30 years (35 years for domicile resident of State of Chhattisgarh)	--do--	--do--	--	--	--	--do--	
3	Farrash	1	Class IV (Regular)	4750-7440 Grade Pay 1300	100 % through Direct Recruitment	--do--	--do--	--do--	--	--	--	--do--	
		9	Contingency paid	As per Collector Rate	--do--	--do--	--do--	--do--	--	--	--	--do--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Choukidar	2	Class IV (Regular)	4750-7440 Grade Pay 1300	--do--	--do--	--do--	--do--	--	--	--	--do--	
		9	Contingency paid	As per Collector Rate	--do--	--do--	--do--	--do--	--	--	--	--do--	